कार्यालय आयुक्त, भू–अभिलेख, छत्तीसढ़ रायपुर

पटवारी प्रशिक्षण हेतु चयन परीक्षा – 2014

जिला– बालोद

–: परीक्षार्थियों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश :–

1. विज्ञापन में दी गई योग्यता/पात्रता संबंधी शर्तों की पूर्ति या आवश्यक प्रमाण–पत्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होने की स्थिति में चयन हो जाने के बाद भी नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
2. प्रश्न पत्र में प्रश्न कक्षा दसवीं तक के सभी विषयों पर आधारित होंगे। विषय आधारित प्रश्न के अलावा सामान्य ज्ञान कम्प्यूटर, तर्कशक्ति, समसामयिकी, बालोद जिला/छ.ग. राज्य/राष्ट्र पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते है।
3. प्रश्न–पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पी) प्रश्न हैं । दिये गये विकल्पों में से सही या लगभग सही विकल्प का चुनाव कर ओ.एम.आर. शीट में काले या नीले बाल पाइंट पेन (डाट पेन) से गोले को भरकर पूरा करना होगा । प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर अंकित किया जाना है । यदि एक से अधिक गोले पर निशान लगाये जाते हैं तो यह गलत उत्तर माना जायेगा ।
4. प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित है । इस प्रकार प्रश्न पत्र कुल 100 अंक का होगा ।
5. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा के आवेदन पत्र में भूलवश जन्म तिथि, केटेगेरी, वर्ग में गलत जानकारी भर दिया हो तो वह उत्तरशीट में संबंधित स्थान पर सही जानकारी भर सकता है । उत्तरशीट में भरी गई जानकारी, डाटा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा ।
6. ओ.एम.आर. शीट पर किसी भी प्रकार का अवांछित चिन्ह अंकित न करें जो आपकी अलग पहचान बताने को इंगित करता हो, इससे आपकी प्रतिभागिता निरस्त कर दी जायेगी ।
7. उत्तर शीट का प्रयोग करते समय पूरी तरह से सावधानी बरतें, इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें ।
8. उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि ओ.एम.आर.शीट सावधानी पूर्वक भरें ताकि उसमें कोई त्रुटि न हो । ओ.एम. आर. शीट पर ऊपरीलेखन, (ओवरराईटिंग) व्हाईटनर, रबर आदि का प्रयोग वर्जित होगा ।
9. एक बार प्रश्न का उत्तर वृत में भर देने के उपरान्त उसे अंतिम माना जाए । मिटाने, फ्लुड का प्रयोग करने तथा गलत का चिन्ह (×) लगाने की अनुमति नहीं है ।
10. परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाईल, पेजर या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण रखना वर्जित है ।
11. परीक्षा में नकल करना, अन्य परीक्षार्थियों से आपस में बात करना, ताक–झॉक करना आदि अनुचित साधन के अंतर्गत माने जावेंगे । ऐसा किये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही जा सकेगी ।
12. परीक्षा अवधि में पूरी समय तक परीक्षा कक्ष में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र घर ले जाने की अनुमति दी जावेगी, परन्तु परीक्षा में पूरे समय तक नहीं बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
13. परीक्षा कक्ष में केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
14. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर का मिलान, परीक्षा कक्ष में किये गये हस्ताक्षर से होना चाहिए।
15. उत्तर शीट पर निर्धारित स्थानों पर चाही गई प्रविष्टियां भरने के अलावा कुछ भी न लिखें/अंकित करें ।
16. प्रश्न पुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान कर लें । यदि इनमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्न पत्र बदल लें ।
17. प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्न के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो केन्द्राध्यक्ष के पास लिखित आपत्ति परीक्षा तिथि को ही परीक्षा समाप्ति के आधे घंटे के अंदर दर्ज करानी होगी । बाद में प्रश्न संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
18. रोल नम्बर में त्रुटि होने पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष या वीक्षक द्वारा सुधार करवा कर प्रमाणित करावें ।
19. परीक्षा कक्ष में सभी उम्मीदवारों को अपना पहचान पत्र (आई.डी. प्रूफ) जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पेनकार्ड/आधार कार्ड आदि लाना अनिवार्य है ।
20. परीक्षा कक्ष में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय के पूर्व आधे घण्टे पूर्व प्रवेश दिया जावेगा । परीक्षा प्ररम्भ होने के 15 मिनिट के पश्चात् विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी एवं परीक्षा समाप्ति के आधे घंटे पूर्व तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।
21. परीक्षा कक्ष में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व वितिरित की जावेगी ।

1/9/14
संचालक
भू–अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर